

सक्रिय खेलों से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद या 30 वर्ष की आयु के बाद आजीवन मासिक पेंशन प्रदान करना है।

- यह योजना उन खिलाड़ियों पर लागू होगी, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीते हैं।
- खिलाड़ी को पेंशन उसके 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर देय होगी और यह उसके जीवनकाल के दौरान जारी रहेगी।

◦ **दी गई सहायता:**

- ओलंपिक/पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता को 20,000 रुपए।
- विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता (ओलंपिक/एशियाई खेलों में) को 16,000 रुपए।
- विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (ओलंपिक/एशियाई खेल) में रजत/कांस्य पदक विजेता और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 14,000 रुपए।
- एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरालंपिक खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेता को 12,000 रुपए।

■ **अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं व उनके प्रशिक्षकों हेतु नकद पुरस्कार की योजना:**

- नकद पुरस्कार की योजना वर्ष 1986 में शुरू की गई और वर्ष 2020 में संशोधित की गई थी।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें उच्च उपलब्धियों के लिये प्रोत्साहित और प्रेरित करना तथा युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये प्रेरक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना।
- पुरस्कार नमिनलखित विषयों में दिये जाएंगे:
 - ओलंपिक खेलों/एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में
 - शतरंज
 - बलियिस्ट और सनूकर

नोट:

उत्कृष्ट खिलाड़ी का अर्थ ऐसे खिलाड़ी से है जिसने राष्ट्रीय खेल परसिंघों द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में व्यक्तिगत स्पर्धाओं और टीम स्पर्धाओं में प्रथम तीन में स्थान हासिल किया है, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, या भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित **राष्ट्रीय खेलों**, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित **अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट** या जिसने **ओलंपिक खेलों**, **एशियाई खेलों**, **राष्ट्रमंडल खेलों** में शामिल खेल विधाओं में **वरिष्ठ श्रेणी** में **अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता** में भाग लिया है।

खिलाड़ियों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS):

- PDUNWFS की स्थापना वर्ष 1982 में (2016 में संशोधित) की गई थी, जिसका उद्देश्य उन मेधावी खिलाड़ियों की सहायता करना था, जिन्होंने खेल में देश को गौरवान्वित किया था।
 - पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मेधावी खिलाड़ियों के लिये पहले से ही पेंशन की एक योजना है।
- **नधि का उपयोग नमिनलखित उद्देश्यों के लिये किया जाएगा:**
 - मेधावी खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना।
 - गरीबी में रह रहे मेधावी खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता।
 - चोट की प्रकृति के आधार पर प्रतियोगिताओं के लिये अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान और प्रतियोगिताओं के दौरान भी घायल होने पर।
 - अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित करने वाले मेधावी खिलाड़ियों को कठिन प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारणवश विकलांग होने पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना तथा चिकित्सा उपचार में मदद करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.